सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-795/MH/55/2023-RO-BH

Dated: - 29.01.2024

सेवा में,

Dr. Rajendra Kumar
Director General,
Employees State Insurance Corporation
Panchdeep Bhawan, Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg,
New Delhi - 110002.
Email:- dir_gen@esic.nic.in, Phone No. 011-23235391

विषय: **पदोन्नति में आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को पदोन्नति चयन सूची में वंचित रखने के संबंध में श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.1.2024 को 02:30 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि मीटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय ~~सदस्य~~ उपाध्यक्ष (कार्यवाहक) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:-011-24641640

प्रतिलिपि :-

श्री रघुवीर कुमार मीना
प्रवर श्रेणी लिपिक,कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुबई (महाराष्ट्र)
Mumbai Suburban,(Maharashtra) - 400012
Mob No- 7891476637

Copy for information
1. PS to Hon'ble Member, NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(NCST/SER-795/MH/55/2023-RO-BH)

श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई (महाराष्ट्र) पदोन्नति में आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को पदोन्नति चयन सूची से वंचित रखने के संबंध में - श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2024 को 2:30 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नयी दिल्ली मे आयोग की बैठक के कार्यवृत।

बैठक की तिथि :18.1.2024, 2:30 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 13-02-2023 में बताया है कि राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के उच्च श्रेणी लिपिक से सहायक संवर्ग में पदोन्नति के आदेश में रिजर्वेशन रोस्टर का पालन न करते हुये आरक्षित 12 पदों की जगह सिर्फ 8 पदों पर ही पदोन्नति प्रदान की गई।

प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को 16-03-2023 को नोटिस भेजा गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) भारत सरकार, मुंबई ने पत्र दिनांक 12-04-2023 द्वारा तथ्य तथ्य आख्या प्रेषित की थी, तथा बताया कि अभ्यावेदन के आलोक में उक्त मामले कि जांच गहराई से की जा रही है, और यदि आवश्यक है, तो उक्त बाकी रिक्त पद को रिक्त वर्ष 2021 में भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक पर विचार किया जा रहा है और मामले में अनुपालन को आगे सूचित किया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपरोक्त पत्र को, आवेदक को पत्र दिनांक 28.04.2023 द्वारा सूचनार्थ भेजा गया। आवेदक ने पत्र दिनांक 12.05.2023 के माध्यम से असंतुष्टि प्रस्तुत करते हुये न्याय की मांग की।

अनन्त नायक

अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने प्रकरण में उठाए गए मुद्दो को हल करने के लिए दिनांक 18.1.2024 को दोपहर 2:30 बजे महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एव याचिकाकर्ता के साथ बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिनिधियों तथा आवेदक उपस्थित हुए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिनिधियों ने बताया कि आवेदक की पदोन्नति दिनांक 04.10.2023 के आदेश द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा सहायक पद के लिए रोस्टर की समीक्षा की जा रही है। रोस्टर की समीक्षा के पश्चात, यदि आवेदक वरिष्ठता में उपयुक्त पाया गया तो पदोन्नति पिछले वर्ष से नियमानुसार दी जायेगी।

दोनों पक्षो को सुनने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा बैठक की तिथि से दो महीने के अंदर की गई कार्यवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध करने का कष्ट करे।

1. सहायक पद के रोस्टर की समीक्षा करने के बाद, आवेदक की पदोन्नति हेतु प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

2. अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु Internal Grievance Committee (आंतरिक शिकायत समिति) की स्थापना की जाए, जैसा कि NCST ने August 2021 में सभी मंत्रालयों/ विभागो को उनके अधीनस्थ निकायो में स्थापित करने को कहा है।

अनन्त नायक
अनंत नायक/ANANTA NAYAK
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

List of participants of the meeting held on 18.1.2024 at 2:30 PM under the Chairmanship of Shri Ananta Nayank, Hon'ble Member, NCST, New Delhi in the case of श्री रघुवीर कुमार मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुंबई (महाराष्ट्र) पदोन्नति में आरक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पत्र उम्मीदवारों को पदोन्नति चयन सूची से वंचित रखने के संबंध में।

I	**ESIC**
	Shri Pranay Sinha, Insurance Commissioner (P&A)
II	**Petitioner**
	Shri Raghuveer K. Meena